श्री राधा मोहन शर्मा, मा० स०वि०प० से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं०–265/2019 का अद्यतन उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन	अद्यतन प्रतिवेदन
जहानाबाद अरवल जिला अंतर्गत पुनपुन नदी मोतेपुर में जनहित में किसानों के सिंचाई हेतु पंतीत बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन इसकी ऊँचाई मात्र तीन फीट रहने के कारण सिंचाई का पानी दोनों जिलों में नहीं मिल पाता है। यह सिंचाई योजना जहानाबाद के आठ पंचायत एवं कुर्था अरवल के कुछ पंचायत तथा पटना जिला के मसौढ़ी तक के घनी आबादी के किसानों के पटवन का एकमात्र साधन है। अतः पुनपुन नदी में पंतीत बांध की ऊँचाई 06 फीट करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि :– • वर्ष 2015 में अरवल जिलान्तर्गत कुर्था प्रखंड के पंतीत ग्राम के समीप पुनपुन नदी पर 11.13 करोड़ रुपये की लागत से वीयर का निर्माण कराया गया है। • इसके निर्माण का उद्देश्य मात्र खरीफ सिंचाई के लिए गंगहर पईन में पानी देने के लिये किया गया है एवं इस उद्देश्य की पूर्ति भी हुई है। • पंतीत वीयर का क्रेस्ट की ऊँचाई बढ़ाने संबंधी विषय की जाँच विभागीय रूपांकण संगठन से कराई गई है। रूपांकण संगठन द्वारा इसे आवश्यक नहीं माना गया है। • समस्या के समाधान हेतु रूपांकण संगठन द्वारा गंगहर पईन की उडाही. एवं पंतीत वीयर पर अधिष्ठापित फॉलिंग शटर की मरम्मति का परामर्श दिया गया है। • रूपांकण संगठन के परामर्श के अनुरूप पंतीत वीयर पर अधिष्ठापित फॉलिंग शटर की मरम्मति करा ली गई है एवं गंगहर पईन की उड़ाही हेतु सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। निधि की उपलब्धता के अनुरुप इस कार्य को कराया जायेगा।	अद्यतन स्थिति यह है कि– वर्तमान में अरवल जिला के कुर्था प्रखंड अन्तर्गत पंतीत गाँव के किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रश्नगत स्थल पर नये सिरे से बराज/वीयर के निर्माण हेतु परामर्शी के माध्यम से विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने निमित्त प्रस्ताव मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, गया द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है, जिसपर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में केवल खरीफ अवधि के दौरान पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि होने पर गंगहर पईन में जल का प्रवाह होता है तथा इससे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो पाती है।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–03–04 / 2026(पार्ट)..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना के पत्रांक–1385(6) दिनांक–10.09.2026 के आलोक में ध्यानाकर्षण सं0–265 / 2019 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–03–04 / 2026(पार्ट)..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–03–04 / 2026(पार्ट)..... पटना / दिनांक :.....

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26 / वि0प0–03–04 / 2026(पार्ट)....5777 पटना / दिनांक :...01/10/2026

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/10/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव